न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 85 / 2026

रामसिंह दत्तक पुत्र स्व. श्री दोदराम ग्राम पोस्ट काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू पिनकोड 333029 मो.न. 9610255099

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिड़ावा

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 19.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 85 / 2026 पर दिनांक 26.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिड़ावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिड़ावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिड़ावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2026 / 619—20 दिनांक 05.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिड़ावा ने पत्रांक आरटीआई / 2026 / 09 दिनांक 18.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चिड़ावा तहसील में दिनांक 20.01.2026 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी द्वारा राजस्व गांव काकोड़ा कि सरहद में खसरा नम्बर 387(पुराना) 437(नया) गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने के लिए जुलाई—अगस्त माह 1976 में पट्टे के संबंध में सूचना चाही गई थी जो अपीलार्थी को पत्रांक राजस्व / 2026 / 177 दिनांक 10.02.2026 द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने वांछित सूचना नहीं मिलना जाहिर किया तथा सूचना दिलवाई जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चिड़ावा तहसील में दिनांक 20.01.2026 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी द्वारा राजस्व गांव काकोड़ा कि सरहद में खसरा नम्बर 387(पुराना) 437(नया) गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने के लिए जुलाई—अगस्त माह 1976 में पट्टे के संबंध में सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व / 2026 / 177 दिनांक 10.02.2026 द्वारा सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1976 के पट्टो की सत्यप्रतिलिपि चाही है जो तलाश करने बावजूद तहसील कार्यालय में नहीं मिली है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना काफी पुरानी है परन्तु अपीलार्थी ने सूचना दिलवाई जाने का निवेदन किया है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिड़ावा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुनः रिकार्ड में तलाश कर अन्दर एक माह में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं